

#### असाधारण

## **EXTRAORDINARY**

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii) प्राधिकार से प्रकाशित

## PUBLISHED BY AUTHORITY

**सं. 388]** No. 388] नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 17, 2015/माघ 28, 1936

NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 17, 2015/MAGHA 28, 1936

# सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

# अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 फरवरी, 2015

का.आ. 546(अ).—केन्द्रीय सरकार, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे दी गई सारणी के कालम (3) में विनिर्दिष्ट, राष्ट्रीय राजमार्ग के कालम (2) में – तदनुरूप प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट के अनुसार उक्त सारणी के कालम (1) में तदनुरूप प्रविष्टि के अनुसार यथा-विनिर्दिष्ट लंबाई, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपती है, अर्थात्:-

## सारणी

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या	खंड	लंबाई (किमी में)
(1)	(2)	(3)
23	चास – रामगढ़ खंड	किमी 0.000 से किमी 81.200
	(झारखंड राज्य में)	

[फा. सं. एनएच-14013/14/2014-पीएंडएम]

माया प्रकाश, निदेशक (पी एंड बी)

838 GI/2015 (1)

# MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS NOTIFICATION

New Delhi, the 17th February, 2015

**S.O.** 546(E).—In exercise of the powers conferred by Section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government hereby entrusts the stretch of National Highways, as specified in column (3) of the Table below, of the section as specified in column (2) of the National Highway as specified in the corresponding entry in column (1) of the said Table, to the National Highways Authority of India, namely:—

### **TABLE**

National Highway No.	Section of National Highway	Stretches in Kilometers
(1)	(2)	(3)
23	Chas-Ramgarh section	From Km. 0.000 to Km. 81.200
	(In the State of Jharkhand)	

[F. No. NH-14013/14/2014-P&M] MAYA PRAKASH, Director (P&B)

# अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 फरवरी, 2015

का.आ. 547(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा निर्देश देती है कि इसके साथ संलग्न तालिका के कालम (2) में वर्णित प्रत्येक राष्ट्रीय राजमार्ग से संबंधित कार्यों का निष्पादन करने के संबंध में प्रत्येक राष्ट्रीय राजमार्ग के सामने तालिका के कालम (3) में विनिर्धारित कार्य इस शर्त के अध्यधीन राज्य सरकारों द्वारा पूरे किए जाएंगे कि संबंधित राज्य सरकार उक्त अधिनियम के अधीन वर्तमान में लागू नियमों का अनुपालन करने के लिए ऐसे कार्यों को करने के लिए बाध्य होंगी और उस प्रयोजनार्थ तत्कालीन पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग), की अधिसूचना सं. का.आ. 1096(अ), तारीख 4 अगस्त, 2005 में एतद्वारा निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात:-

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में, क्रम सं. 10 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:—

## तालिका

"10	राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 6 [किमी 199.500 से किमी 183.200 तक (बहरागोरा-झारखंड/पश्चिम बंगाल सीमा) खंड	झारखंड
	को छोड़कर], <b>सं. 23 [किमी 0.000 से किमी 81.200 (चास - रामगढ़ खंड) को छोड़कर],</b> सं. 31, सं. 32, सं. 33	राज्य
	[किमी 0.000 से किमी 333.500 तक (वरही-हजारीबाग-रांची-जमशेदपुर-महुलिया-बहरागोरा) खंड को छोड़कर],	सरकार"
	सं. 75, सं. 75 का विस्तार, सं. 78, सं. 80, सं. 98, सं. 99, सं. 100, नई रारा सं. 114ए, नई रारा सं. 133, नई	
	रारा सं. 43, नई रारा सं. 133ए, नई रारा सं. 143ए, नई रारा सं. 220, नई रारा सं. 333, नई रारा सं. 333ए,	
	नई रारा सं. 343 और नई रारा सं. 419 के उतना भाग जो झारखंड राज्य में अवस्थित हैं ।	

[फा.सं. एनएच-14013/14/2014-पीएंडएम]

माया प्रकाश, निदेशक (पी एंड बी)

टिप्पण: मूल अधिसूचना को सं. का.आ. 1096(अ), तारीख 4 अगस्त, 2005 द्वारा प्रकाशित किया गया था और उसे पिछली बार सं. का.आ. 2835(अ), 7 नवंबर, 2014 द्वारा संशोधित किया गया था।

## **NOTIFICATION**

New Delhi, the 17th February, 2015

**S.O.** 547(E).—In exercise of the powers conferred by section 5 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby directs that the functions in relation to the execution of works pertaining to each of the National Highways described in column (2) of the Table hereto annexed shall be exercisable by the State Government specified in column (3) of the Table against each highway subject to the condition that the State Government concerned shall in the exercise of such functions be bound to comply with the rules for the time being in force under the said Act and for that purpose makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Shipping, Road Transport and Highways (Department of Road Transport and Highways) number S.O 1096(E), dated the 4th August, 2005, namely:—

In the said notification, in the Schedule, for serial number 10 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely: —

### **TABLE**

00 to km. Jharkhand"
0.000
a. 0.000 to
], No.75,
Highway
w National
y No. 220,
l Highway
arkhand.
1

[F. No. NH-14013/14/2014-P&M]

MAYA PRAKASH, Director (P&B)

**Note:** The principal notification was published *vide* number S.O. 1096(E), dated the 4th August, 2005 and was last amended *vide* number S.O. 2835(E), dated the 7th November, 2014.